पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वन विभाग

आश्वासन	प्रश्न संख्या/	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की	आश्वासन
क्रमांक	प्रश्न क्रमांक/			गई कार्यवाही	की पूर्ति की
	दिनांक/सदस्य का नाम				तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	ता.प्र.सं.०१	(1) विभागीय मंत्री का वन मंत्री से कुछ	(1) <u>विभागीय मंत्री का वन मंत्री से यह</u>		
	(क्र. 473)	पुलिया जो अपेक्षित है, वह बनवाने हेतु	<u>आग्रह कि</u> - कुछ पुलिया जो अपेक्षित है,		
	दि. 19.02.2015	विधान सभा क्षेत्र सीधी के अंतर्गत रिजर्व	वह बनवाने की कृपा करेंगे ।		
	(श्री कुंवर सिंह टेकाम)	टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के ग्रामों में प्रधानमंत्री	वन मंत्री :- आरईएस और ग्रामीण विकास		
		ग्रामीण सड़क के अंतर्गत पुलियों का निर्माण	विभाग वन विभाग को पैसा हस्तांतरित कर		
		कराया जाना ।	देगा तो हम उसमें निर्माण करवा सकते है ।		
		(2) ग्राम शेर एवं अमडेहा में सड़कों का			
		निर्माण कराया जाना ।	(2) विभागीय मंत्री :- सड़क बनवाने का		
			काम शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करवाउंगा ।		
02	ता.प्र.सं.१०	रीवा जिले के जनपद पंचायत नईगढ़ी के ग्राम	कलेक्टर, जिला रीवा द्वारा मुख्य कार्यपालन		
	(क्र.466)	पंचायत डिहिया पाडांन में रोजगार सहायक के	अधिकारी जनपद पंचायत नईगढी जिला		
	दि.19.02.2015	पद पर नियुक्त आवेदक द्वारा कूटरचित	रीवा को ज्योति पाण्डेय आ.श्री सुर्यमणि		
	(श्री सुखेन्द्र सिंह "बन्ना")	दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनके विरूद्ध	पाण्डेय के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज		
		अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना ।	करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।		
03	ता.प्र.सं.१४	देवास जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण मानीटर्स का दल		
03	(娕.223)	एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत	बनाकर जांच आदेशित की है ।		
	दि. 19.02.2015	गुणवत्ता विहिन सड़कों के निर्माण कार्य की			
	(श्री चम्पालाल देवड़ा)	जांच कराई जाना ।			

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आश्वासन	प्रश्न संख्या/	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की	आश्वासन
क्रमांक	प्रश्न क्रमांक/			गई कार्यवाही	की पूर्ति की
	दिनांक/सदस्य का नाम			•	तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04	परि.ता.प्र.सं.12	विदिशा जिले में राजीव गांधी जल ग्रहण	आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना क्र. 02 में		
04	(ক্র. 241)	मिशन योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो में	परियोजना के टीम लीडर के विरूद्ध कार्यवाही		
	दि. 19.02.2015	अनियमितता करने वाले संबंधित अधिकारी के	प्रचलन में है ।		
	(श्री वीरसिंह पंवार)	विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।			
ΛF	परि.ता.प्र.सं.14	रीवा संभाग के सहकारी बैंकों के जिला	(1) श्री आर.के.एस. चौहान के विरूद्ध प्राप्त		
05	(क्र. 246)	महाप्रबंधक सीधी एवं सतना के विरूद्ध प्राप्त	शिकायत पर श्री चौहान को दिनांक		
	दि. 19.02.2015	शिकायतों की जांच तथा जांच निष्कर्षों के	20.12.2014 से निलंबित किया जाकर उनके		
	(श्री नारायण त्रिपाठी)	आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया	विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन		
		जाना।	है तथा,		
			(2) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित		
			सतना के महाप्रबंधक श्री ए.बी.शुक्ला के		
			विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन		
			है, कार्यवाही जांच निष्कर्षाधीन है ।		
06	अता.प्र.सं.१८	बालाघाट जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसमी	नियमों के अधीन कालोनाईजर के विरूद्ध		
06	(क्र.268)	में गायत्री पूरम कालोनी में कॉलोनाईजर द्वारा	कार्यवाही प्रचलन में है ।		
	दि.19.02.2015	सार्वजनिक उपयोग की भूमि को प्लाट के रूप			
	(श्री मधु भगत)	में विक्रय किये जाने की जांच कराई जाकर			
		नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।			

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आश्वासन	प्रश्न संख्या/	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की	आश्वासन
क्रमांक	प्रश्न क्रमांक/			गई कार्यवाही	की पूर्ति की
	दिनांक/सदस्य का नाम				तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07	अता.प्र.सं.40	भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार की ग्राम	सरपंच ग्राम पंचायत लालपुरा के विरूद्ध		
	(क्र. 490)	पंचायत लालपुरा के सरपंच द्वारा आर्थिक	म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज		
	दि. 19.02.2015	अनियमितताएं किये जाने की विधिसंवत्	अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत		
	(डॉ.गोविन्द सिंह)	कार्यवाही की जाना ।	कार्यवाही की जावेगी ।		
08	अता.प्र.सं.41	सागर जिले की विधान सभा क्षेत्र सुरखी के	(1) दो स्टेट क्वालिटी मॉनीटर की संयुक्त		
	(क्र. 499)	अंतर्गत ग्राम बिलहरा से केवलारी तक	टीम बनाकर जांच कराये जाने के आदेश		
	दि. 19.02.2015	निर्माणाधीन गुणवत्ता विहिन सड़क निर्माण	दिये गये है । जांच पूर्ण होने पर गुण दोष		
	(श्रीमती पारूल साहू केशरी)	की जांच एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर	के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।		
		दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना तथा	(2) बिलहरा से केबलारी मार्ग को शीघ्र पूर्ण		
		समय-सीमा में सड़क मार्ग का निर्माण किया	कराने का प्रयास किया जा रहा है ।		
		जाना ।			

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आश्वासन	प्रश्न संख्या/	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की	आश्वासन
क्रमांक	प्रश्न क्रमांक/			गई कार्यवाही	की पूर्ति की
	दिनांक/सदस्य का नाम				तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09	परि.ता.प्र.सं.27	कटनी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के	अनुशासनात्मक कार्यवाही के निष्कर्ष के		
	(क्र.422)	तहत केरोसिन बिक्री में अनियमितता करने	आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा ।		
	दि.19.02.2014	वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार			
	(कुंवर सौरभ सिंह)	कार्यवाही किया जाना ।			
10	अता.प्र.सं.15	सागर जिलान्तर्गत देवरी विधान सभा क्षेत्र में	पात्र परिवारों को एक माह में पात्रता पर्ची		
	(क्र.251)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के	उपलब्ध करा दी जावेगी ।		
	दि.19.02.2015	अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को समय-सीमा में			
	(श्री हर्ष यादव)	पर्ची उपलब्ध कराया जाना ।			

सहकारिता विभाग दिनांक 19.02.2015

आश्वासन	प्रश्न संख्या/	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा	आश्वासन
क्रमांक	प्रश्न क्रमांक/			की गई	की पूर्ति की
	दिनांक/सदस्य का नाम			कार्यवाही	तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	ता.प्र.सं.१५	जिला सहकारी बैंक सीधी में नियम विरूद	बैंक को एक माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने		
11	(क्र.527)	हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराये जाने की	के निर्देश दिये गये है । अनुविभागीय		
	दि. 19.02.2015	जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषियों के विरूद्ध	अधिकारी(राजस्व) से ट्रैक्टर ऋणों का परीक्षण		
	(श्री बाला बच्चन)	कार्यवाही किया जाना ।	कराया जा रहा है ।		
12	ता.प्र.सं.१८	शाजापुर जिले के प्राथमिक सहकारी साख संस्था	श्री आत्माराम मीणा को संस्था के संचालक पद		
12	(م.30)	मर्यादित उगली के संचालक को सहकारी	से हटाने हेतु संयुक्त पंजीयक, सहकारी		
	दि. 19.02.2015	अधिनियम के प्रावधान अनुसार योग्य नहीं होने	समितियां संभाग, उज्जैन द्वारा दिनांक		
	(श्री इन्दर सिंह परमार)	पर हटाया जाना ।	18.02.2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी		
			अधिनियम, 1960 की धारा 50-ए के अंतर्गत		
			कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है ।		
13	परि.ता.प्र.सं.38	रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति, भोपाल के	रिकार्ड जप्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, रिकार्ड		
13	(क्र.564)	सदस्य द्वारा जमा करावाई गई राशि की जांच	प्राप्त होने के उपरांत जानकारी दी जा सकेगी ।		
	एवं	एवं समिति के शेष सदस्यों को प्लांट आवंटन			
	अता.प्र.सं.52	किया जाना ।			
	(क्र. 576)				
	दि. 19.02.2015				
	(चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)				
14	अता.प्र.सं.30	दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,	शिकायत की जांच संयुक्त आयुक्त, सहकारिता,		
'-	(क्र.376)	भोपाल के विरूद्ध शिकायत की जांच निष्कर्ष के	भोपाल संभाग द्वारा की जा रही है तथा जांच की		
	दि.19.02.2015	गुण-दोष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध	कार्यवाही निष्कर्षाधीन है ।		
	(श्री आरिफ अकील)	कार्यवाही किया जाना ।			

सहकारिता विभाग दिनांक 19.02.2015

आश्वासन	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक/	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की	आश्वासन
क्रमांक	सदस्य का नाम			गई कार्यवाही	की पूर्ति की
					तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	ध्यानाकर्षण सूचना क्र.23	(1) प्रदेश में यूरिया खाद्य वितरण सहकारी	(1) आगे जाकर और कुछ भी जो ज्यादा		
13	(डॉ.गोविन्द सिंह एवं	समितियों से कराया जाना ।	युक्तियुक्तकरण होगा, जो आवश्यक होगा, वह		
	श्री आरिफ अकील)		करेंगे ।		
		(2) रायसेन जिले के सलामतपुर सोसायटी द्वारा	(2) जी एस सोसायटी की जांच करा लेंगे ।		
		जो कृषकों डिफाल्टर नहीं है उनसे पैसे लेकर			
		खाय दिये जाने की जांच कराई जाना ।			
		(3) फसल उपार्जन पर बोनस दिया जाना ।	(3) बोनस देंगे, आप चिंता मत करो, किसी		
			न किसी रूप में बोनस मिलेगा ।		

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

आश्वासन	प्रश्न संख्या/	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की	आश्वासन
क्रमांक	प्रश्न क्रमांक/			गई कार्यवाही	की पूर्ति की
	दिनांक/सदस्य का नाम				तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	ता.प्र.सं.25	(1) उप संचालक एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार	(1) जी हां, संबंधित अधिकारी के विरूद्ध		
10	(葬.311)	अधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये	अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव		
	दि. 19.02.2015	जाने की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध	दिनांक 11.02.15 को प्राप्त हुआ । परीक्षण		
	(श्री संजय पाठक)	कार्यवाही की जाना ।	उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की		
			जावेगी ।		
			(2) जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
		(2) जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर			
		कार्यवाही किया जाना ।			
17	अता.प्र.सं.२४	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि	जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की		
17	(क्र.316)	विकास विभाग, कटनी द्वारा नियम विरूद्ध	जायेगी । जांच उपरांत गुणदोष के आधार		
	दि.19.02.2015	दण्ड राशि की वसूली की जांच एवं जांच	पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध		
	(श्री संजय पाठक)	प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित	नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की		
		दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया	जावेगी ।		
		जाना ।			
18	अता.प्र.सं.३९	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि	श्री डी.आर.राजपूत, तत्कालीन उप संचालक,		
10	(क्र. 489)	विकास विभाग, दितया द्वारा कृषि विभाग की	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के		
	दि.19.02.2015	समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों पर पालन	विरूद्ध विभागीय आदेश क्रमांक एफ-४ए-		
	(डॉ.गोविन्द सिंह)	न किये जाने की जांच कराई जाकर कार्यवाही	67/2014/14-1, दिनांक 06.02.2015 द्वारा		
		किया जाना ।	विभागीय जांच संस्थित की गयी हे ।		

गृह विभाग दिनांक 19.02.2015

आश्वासन	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक/	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की	आश्वासन
क्रमांक	सदस्य का नाम			गई कार्यवाही	की पूर्ति की
					तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 72	(1) प्रदेश में साइबर क्राईम की रोकथाम के	(1) जिस प्रकार के साइबर क्राइम बढ़ रहे है,		
פו	(श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित	उसके लिये हम प्रशिक्षित अधिकारियों को भी		
		किया जाना एवं इनकी संख्या बढ़ाई जाना ।	और कर्मचारियों को भी और केन्द्र को भी		
			बढ़ायेंगे ।		
		(2) प्रदेश में साइबर थानों की स्थापना किया	(2) भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में		
		जाना ।	साइबर थाने भी खोले जायेंगे ।		